न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49 / 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 पुरा पुत्र महादेव जाति जाट निवासी ढाणी लोछिबावाली सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

बनाम

1 बलराम लोछिब दत्तक पुत्र भूरा (जन्मजात पुत्र भगवाना जो अपने आपको गलत रूप से भूरा का दत्तक पुत्र बता रहा है) जाति जाट निवासी सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 रामेश्वरी देवी पत्नी भूराराम (जो वास्तविक रूप से घीसा की पत्नी है तथा अपने आपको भूराराम की पत्नी बता रही है) जाति जाट निवासी सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री ब्रहमलाल जाट आर.ए.एस. दावा उनवानी बलराम बनाम रामेश्वरी देवी आदि मुकदमा नम्बर 2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 संख्या 02 व 3 को पक्षकार बनाते हुए विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष एक दावा बाबत ईश्तकरार हक (अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गयाा कि तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2313,2320, 2320/3218, 2321,2352,2353,2575 कुल किता 7 कुल रकबा 11.45 हैक्टेयर हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 2311,2315, 2320/3295 कुल किता 3 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 2314, 2318, 2319 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 2316,2322,2323,2324, 2325 कुल किता 5 कुल रकबा 13.53 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी के दत्तक पिता स्व. भूरा पुत्र महादेव के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है जसरा खानदान के अनुसार वादी बलराम लोछिब को प्रतिवादी संख्या 01 रामेश्वरी देवी पत्नी भूरा व स्व. भूरा पुत्र महादेव ने बचपन में ही गोद लिया था तथा बचपन से ही वादी प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति भूरा के पास दत्तक माता प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा सुश्रुषा करता आ रहा है तथा वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के दत्तक पिता भूरा पुत्र महादेव का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के परिवार राशन कार्ड, मतदाता सूची, स्कूल रिकार्ड आदि में वादी के पिता का नाम भूराराम ही अंकित है तथा दिनांक 29.05.2009 को ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें वादी बलराम को भूरा का दत्तक पुत्र अंकित किया है तथा दिनांक 21.08.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 ने उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में रजिस्टर्ड गोदनामा लेख पंजीबद्व करवा दिया था तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक भूरा का दत्तक पुत्र चला आ रहा होकर कृषि भूमियां वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र में मृतक भूरा पुत्र महादेव के नाम दर्ज हक, हिस्सा की खातेदारी भूमियों पर काबिज, काश्त चला आ रहा है इसलिए वादी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त वाद दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट संख्या 02 के नाम तामील हेतु नोटिस जारी होने पर वादी ने बसाजिश रेस्पोडेंट संख्या 2 की उक्त वाद में सहमति लेते हुए पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में लेते हुए दिनांक 12.06.2017 को उक्त वाद निर्णित व डिक्री करवा लिया। उक्त निर्णय व डिक्री व डिक्री के बारे में पूर्व में अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी नही थी, क्योंकि अपीलाधीन वाद में अपीलांट को पक्षकार ही नही बनाया गया था। दिनांक 22.05.2018 को अपीलांट अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां विचाराधीन वाद उनवानी पुरा बनाम भगवाना आदि मे अपने अधिवक्ता से वाद में साक्ष्य करवाने हेतु विचार विमर्श करने गया हुआ था तो कोर्ट परिवार में ही रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट को कहा कि इस दावे का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कि मैने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष वर्णित खसरा नम्बरान के बाबत दुसरा दावा पेश कर दावा अपने पक्ष में वर्णित व डिक्री सन् 2017 में ही करवा लिया है। इस पर अपीलांट ने पुछताछ कर निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 23.05.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 25.05.2018 को प्राप्त होने पर वकील से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही थे विवादित भूमि में अपीलांट का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
नीमकाथाना

नाम खातेदारी में अकित है। अत धारा 96 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जावें। अपीलांट को नीमकाथाना कोर्ट में दिनांक 22.05.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 01 मिला उसने विचाराधीन निर्णय की जानकारी दी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावे। रेस्पोडेंट ने दुरभि संधि कर न्यायालय को मुगालते में रखकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। जो विधि विरूद्व होने खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमियों के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 150/2006 बउनवानी पुराराम बनाम भगवाना विचाराधीन है। इसके विचाराधीन रहते तथ्यों को छिपाकर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री करवाया गया है जो विधि विरूद्व है। प्रकरण में 29.05.2009 को वारिस प्रमाण पत्र बना है जबकि 21.08.2014 को गोदनामा रजिस्टर्ड हुआ है। प्रस्तुत सजरे के अनुसार अपीलांट आवश्यक पक्षकार है भूराराम दिनांक 20.02. 1987 को फौत हुआ है। भूराराम की पत्नी झुमली 10.10.1984 को फौत हो गई बलराम दिनांक 08.09.1987 को पैदा होता है। ऐसी स्थिति में वह गोद कैसे चला गया जबकि भूराराम व झुमली पूर्व में ही फौत हो चुके थे। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय में भगवाना द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से होती है कि झुमली 10.10.1984 को फौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जावें। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को अपील लाने का कोई अधिकार नही है पुरा महादेव का पुत्र नही होकर नानु का पुत्र था। पुराराम ने महादेव का पुत्र होने बाबत दावा संख्या 41/1997 पेश किया था। जो खारिज हो गया इसकी कोई अपील भी नही की गई है। मतदाता सूची में पुरा पुत्र नानु का अंकन है महादेव के नाम से कोई रिकार्डेड खातेदारी नही रही तो अपीलांट को नही मिल सकती है। अपीलांट ने देरी का कोई कारण स्पष्ट नही किया है अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने विचाराधीन दावे मे टी.आई. की अपील आर.ए.ए. में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुई थी। यह हमरे पक्ष में निर्णित हुई थी वर वक्त बहस इस निर्णय की प्रति फर्द के साथ प्रस्तुत की गई है। बलराम को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया है जिसे कभी चुनौति नही दी गई है। अपीलांट की अपील पोषणीय नही है खारिज कि जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमियों के सन्दर्भ में पूर्व से ही उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 150/2006 बउनवानी पुराराम बनाम भगवाना विचाराधीन है। इस वाद में वादी रेस्पोडेंट बलराम प्रतिवादी संख्या 03 पक्षकार है एवं वाद संख्या 150/2006 में प्रतिवादी बलराम दिनांक 27.10.2006 को जरिये वकील श्री भंवरसिंह उपस्थित भी हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय के वादी बलराम को वाद संख्या 150/2006 के विचाराधीन होने का पूर्ण संज्ञान था। इसके उपरान्त भी बलराम द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय को मुगालते में रखकर प्राप्त किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 सीपीसी के आवेदन न्यायहित में स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कन्डोन किया जाता है।

वर वक्त बहस रेस्पोडेंट द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 48/2009 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 16.05.2018 नक्ल उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर टी.आई. आवेदन संख्या 35/2018, वारिस प्रमाण पत्र सरंपच, सजरा खानदान, कुर्सीनामा, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड भगवान सहाय, निर्वाचन पहचान पत्र भगवाना, राशन कार्ड रामेश्वरी, पहचान पत्र रामेश्वरी फर्द के साथ प्रस्तुत किये गये। चूकिं दौराने अपील किसी भी दस्तावेजात को न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधान

प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्यमान है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त दस्तावेजात आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नही किये जाने से पठनीय नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय तथ्य है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से उदघोषणा का वाद विचाराधीन है इस वाद में बलराम जरिये वकील उपस्थित हो चुका है। इस वाद का निर्णय होना अभी शेष है। इस वाद में यदि बलराम के विरूद्व निर्णय पारित हो जाता है तो वर्तमान विचाराधीन निर्णय व डिक्री उस निर्णय के प्रतिकुल होने से विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार रेस्पोडेंट ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुये पूर्व वाद के विचाराधीन रहने की जानकारी होते हुये अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, पूर्व वाद की जानकारी प्रस्तुत वाद में उल्लिखित किये बिना जो विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर